

सराहनीय कार्य दिनांक : 13.04.2025

थाना पुवायां पुलिस द्वारा नाबलिंग से सामूहिक बलात्कार करने के नामित अभियुक्त गौरव कुमार व एक बाल अपचारी को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहांपुर के निर्देशनुसार, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी पुवायां महोदय के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे रोकथाम अपराध व गिरफ्तारी अपराधी के सघन अभियान के क्रम में थाना पुवायां पुलिस द्वारा नाबलिंग से गैंगरेप करने के अभियुक्त व बाल अपचारी को किया गिरफ्तार: -

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 12.04.2025 को वादी द्वारा थाना पुवायां पर तहरीर देकर अभियुक्त गौरव कुमार पुत्र जदुवीर उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम करनापुर थाना पुवायां जनपद शाहजहांपुर व एक बाल अपचारी द्वारा वादी की नाबालिंग पुत्री के साथ सामूहिक बलात्कार करने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराया गया जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक पुवायां श्री हरपाल सिंह बालियान द्वारा स्वयं ग्रहण कर आरम्भ की गयी. घटना को तत्काल संज्ञान में लेकर घटना की गंभीरता को देखते हुए उच्चाधिकारीगणों तत्काल अभियुक्त की गिरफ्तारी के आदेश दिये गये। जिसके अनुपालन में थाना पुवायां पुलिस टीम द्वारा मुखविर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में नामित अभियुक्त गौरव कुमार पुत्र जदुवीर उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम करनापुर थाना पुवायां जनपद शाहजहांपुर व एक बाल अपचारी को जेबा चौपले से दिनांक 13.04.2025 को 11.30 बजे सुबह हिरासत पुलिस लिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. गौरव कुमार पुत्र जदुवीर उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम करनापुर थाना पुवायां जनपद शाहजहांपुर
2. बाल अपचारी

पंजीकृत अभियोग/गिरफ्तारी:-

1. मु0अ0स0 292/25 धारा 70(2)बीएनएस व 5(G)/6,3/4(2) पाक्सो एक्ट थाना पुवायां शाहजहांपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री हरपाल सिंह बालियान थाना पुवायां जनपद शाहजहांपुर
2. उ0नि0 श्री करतार सिंह थाना पुवायां जनपद शाहजहांपुर
3. का0 2551 अक्षय बालियान थाना पुवायां जनपद शाहजहांपुर